इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023—वैशाख 29, शक 1945

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2023

सूचना

क्र. 2836/956684/2023/आठ - मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम,1991(क्रमांक 25 सन् 1991)में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, अपर मुख्य सचिव,परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, कमरा नंबर A-104, वल्लभ भवन-2 प्रथम तल, मंत्रालय, भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त अधिनियम में,-

1. प्रथम अनुसूची में,-

(1) मद चार में, उप-मद (6) में, लोक सेवा यान,-

(एक) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(खख) ऐसे यान, जिनकी बैठक क्षमता13+1 या अधिक है और जो अखिलभारतीय पर्यटकयान (परमिट) नियम,2023 के अधीन जारी किए गए परमिट के अधीन ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात हैं	रु. 200 प्रति सीट प्रति माह"

(दो) खंड (एक) में, कॉलम (2) में, शब्द "अतिरिक्त कर" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "मद (चार) के उप-मद (1) या उप-मद (2) या उप-मद (3) या उप-मद (4) या उप-मद (6)(क) या उप-मद (7) के अधीन देय कर" स्थापित किया जाए;

(2) मद छह में, उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"(ग) निजी सेवा यान के रूप में अन्य राज्य से जारी अनुज्ञा-पत्र पर मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले यान	रुपए 200 प्रति सीट प्रति माह।"।

(3) मद सात में,-

(क) शब्द "शैक्षणिक संस्था बस" के स्थान पर, शब्द "शैक्षणिक संस्था बस/स्कूल बस" स्थापित किया जाए।

(ख) उप-मद (ख) में, शब्द तथा अंक "शैक्षणिक संस्था की बस (बैठक क्षमता 12+1 से अधिक)" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "शैक्षणिक संस्था की बस (बैठक क्षमता 12+1 से अधिक)/स्कूल बस", स्थापित किया जाए।

(ग) उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(ग) शैक्षणिक संस्था की बस/स्कूल बस के रूप में अन्य राज्य से जारी अनुज्ञा-पत्र पर मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले यान	रुपए 12 प्रति सीट प्रति वर्ष"

2. द्वितीय अनुसूची में,-

(1) मद 4खक में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाए।

(2) मद 4ग और 7क का लोप किया जाए।

(3) मद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"8. माल यान-

(क) 7500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले अच्छे वाहन की पूरी तरह से निर्मित बॉडी/चेसीस के साथ माल यान- वाहन के मानक मूल्य का 8%

(ख) 7500 किलोग्राम से अधिक सकल यान भार वाले अच्छे वाहन की पूरी तरह से निर्मित बॉडी/चेसीस के साथ माल यान - वाहन के मानक मूल्य का 5%।"।

(4) मद 8 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"8क. वास्तविक कृषको से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषि प्रयोजनों के उपयोग के लिए आशयित ट्रेक्टर, ट्रेक्टर-ट्रेलर, ट्रेक्टर-अनुयान, कंबाइन-हार्वेस्टर और पॉवर-टिलर वाहन।	मानक मूल्य का 1%।"।

(5) मद 10क का लोप किया जाए।

(6) "स्पष्टीकरण 2." के स्थान पर, निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 2.-

(एक) भारत में निर्मित वाहन के मानक मूल्य से अभिप्रेत है, वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, क्षतिपूर्ति उपकर सम्मिलित है और वाहन डीलर या वाहन निर्माता द्वारा दी गई किसी छूट को सम्मिलित नहीं किया गया हो या मोटरयान डीलर द्वारा जारी किए गए बीजक के अनुसार वाहन का मूल्य, जो भी अधिक हो।

(दो) भारत में आयात किए गए वाहन, भले ही उनके निर्माण की जगह कही भी हो, मानक मूल्य से अभिप्रेत है, सीमा शुल्क विभाग द्वारा आगम-पत्र पर प्रष्ठांकित वाहन की लैंडेड वैल्यू, जिसमे, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन निर्धारणीय मूल्य और उस पर भुगतान किया गया सीमा शुल्क तथा भुगतान किया गया अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो, सम्मिलित होगे।"

(7) स्पष्टीकरण 5. के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण 6.- जब किसी श्रेणी का करमुक्त यान कर संदाय करने वाले की मोटरयान किसी श्रेणी परिवर्तित होता है, तब ऐसे यान की श्रेणी बार कर की गणना, इस अनुसूची अर्थात् मद 4क या मद 4ख या मद 4खक या मद 8 या मद 8 क या मद 9 के उपबंधों में यथा विनिर्दिष्ट दर पर प्रारम्भिक पंजीयन के समय के उक्त यान के मानक मूल्य पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण 7.- सरकार द्वारा लोक नीलामी माध्यम से बेचे गए यान, ऐसे यान के श्रेणी बार कर की गणना, उक्त यान के मानक मूल्य पर उसके मूल पंजीयन के समय के इस अनुसूची अर्थात् मद 4क या मद 4ख या मद 4खक या मद 8 या मद 8क या मद 9 के उपबंधों में यथाविनिर्दिष्ट दर पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण 8.- ऐसे यानों पर, जो अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश में पंजीयन के लिए किए गए है आजीवन कर, यान के, उसके आरंभिक पंजीयन के समय मूल्य पर और उसके आरंभिक पंजीयन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख तक मानी गई यान की आयु पर निम्न सारणी-क के अनुसार, ऐसे यान की श्रेणी अनुसार इस अनुसूची के मद 4क या मद 4ख या मद 4खक या मद 8 या मद 8क या मद 9 के उपबंधों में यथा विनिर्दिष्ट दर पर संगणित किया जाएगा।

सारणी - क

अनुक्रमांक	वाहन के प्रारंभिक पंजीयन की तारीख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी दिनांक तक संगणित वाहन की आयु ।	मूल पंजीयन के समय वाहन के मूल्य पर इस अनुसूची के मद 4क या मद 4ख या मद 4खक या मद 8 या मद 8क या मद 9 के अधीन देय अजीवन कर की प्रतिशतता जो।
(1)	(2)	(3)
1.	1 वर्ष तक	93
2.	1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष तक	86
3.	2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष तक	79
4.	3 वर्ष से अधिक, 4 वर्ष तक	72
5.	4 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष तक	65
6.	5 वर्ष से अधिक, 6 वर्ष तक	58
7.	6 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष तक	51
8.	7 वर्ष से अधिक, 8 वर्ष तक	44
9.	8 वर्ष से अधिक, 9 वर्ष तक	37
10.	9 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष तक	30
11.	10 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष तक	23
12.	11 वर्ष से अधिक	16"

3. "तृतीय अनुसूची" के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"तृतीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

यान की श्रेणी		व्यापार प्रमाण-पत्र प्राधिकार के अधीन निर्माता या व्यापारी के कब्जे के यानों पर देय मोटरयान कर
(1)		(3)
1.	मोटर साइकिल	रू. 20000 प्रति वर्ष
2.	रूपांतरित यान	रू. 500 प्रति वर्ष
3.	हल्का मोटरयान	रू. 30000 प्रति वर्ष
4.	माध्यम यात्री मोटरयान	रू. 40000 प्रति वर्ष
5.	माध्यम माल यान	रू. 40000 प्रति वर्ष
6.	भारी यात्री यान	रू. 50000 प्रति वर्ष
7.	भारी माल यान	रू. 50000 प्रति वर्ष
8.	ई-रिक्शा	रू. 5000 प्रति वर्ष
9.	ई-कार्ट	रू. 5000 प्रति वर्ष
10.	अन्य श्रेणी के यान	रू. 30000 प्रति वर्ष

NOTICE

No. 2836/956684/2022/VIII - The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 23 of the said Adhiniyamis hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of its publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft of amendments on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Additional Chief Secretary, Transport Department, Government of Madhya Pradesh, Room Number A-104, Vallabh Bhawan-2,First Floor, Mantralaya, Bhopal.

DRAFT OF AMENDMENTS

In the said Adhiniyam,-

1. In the First Schedule,-

(1) In item (IV), Public ServiceVehiclein sub-item (6),-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb)Vehicles having seating capacity of 13+1 or more and permitted to ply as contract carriages under permit issued under the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2023	Rs. 200 per seat per month"

(ii) in clause (i), in column (2), for the words "spare tax", the words and figures "tax payable under sub-item (1) or sub-item (2) or sub-item (3) or sub-item (4) or sub- item (6)(A) or sub-item (7) of item (IV)" shall be substituted.

(2) in item VI, after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely :-

"(c) vehicles operating in Madhya Pradesh on permit issued from other state as private service vehicle	Rs. 200 per seat per month.".

(3) in item VII,-

(a) for the words "EDUCATIONAL INSTITUTE BUS", the words "EDUCATIONAL INSTITUTION BUS/SCHOOL BUS" shall be substituted.

(b) in sub-item (b), for the words and figures "Bus of educational institute (seating capacity more than 12+1)" the words and figures "Bus of educational institution (seating capacity more than 12+1/ School bus" shall be substituted.

(c) after sub-item (b), the following sub-item shall be added, namely: -

"(c) vehicles operating in Madhya Pradesh on permit issued from other State as bus of educational institution / school bus	Rs. 12 per seat per annum"

2. In the Second Schedule,-

(1) in item 4BA, the Explanation shall be omitted.

(2) item 4C and 7A shall be omitted.

(3) for item 8, the following item shall be substituted, namely:-

"8. Goods vehicle-

(a) Goods vehicles with fully built body/ Chassis of goods vehicle with gross vehicle weight up to 7500 kilogram – 8% of standard price of vehicle;

(b) Goods vehicles with fully built body / Chassis of goods vehicle with gross vehicle weight exceeding 7500 kilogram –5% of standard price of vehicle.".

(4) after item 8, the following item shall be inserted, namely: -

"8A. for agricultural purpose use, the tractor, tractor-trailer, tractor-follower, combined-harvester and power-tiller vehicles, which belonging to a person other than bonafide agriculturist.	1% of standard price.".

(5) item 10A shall be omitted.

(6) for Explanation 2, the following Explanation shall be substituted, namely: -

"Explanation 2.-

(i) Standard Price of the Vehicle Manufactured in India means Ex-Showroom Price of Vehicle as determined by Vehicle Manufacturer including GST, Compensation Cess and excluding any discount offered by Vehicle dealer or Vehicle Manufacturer, or price of vehicle as per invoice issued by motor vehicle dealer, whichever is higher.

(ii) Standard Price of the Vehicle imported into India irrespective of its place of manufacture means cost as per the landed value of the vehicle, consisting of assessable value under Customs Act, 1962 and Customs duty paid there upon including additional duty paid if any, as endorsed in the bill of entry by the Customs Department.".

(7) after Explanation 5, the following Explanations shall be added, namely: -

Explanation 6.- When a tax-free vehicle of any class converts to a class of motor vehicle paying tax, the class-wise tax of such vehicle shall be calculated on the standard price of the said vehicle at the time of initial registration, at the rate as specified in the provisions of this Schedule, namely, item 4A or item 4B or item 4BA or item 8 or item 8A or item 9.

Explanation 7.- The vehicles sold by the Government through auction, the class-wise tax of such vehicle shall be calculated on the standard price of the said vehicle at the time of initial registration, at the rate as specified in the provisions of this Schedule, namely, item 4A or item 4B or item 4BA or item 8 or item 8A or item 9.

Explanation 8.- Life time tax on the vehicles which are brought for registration in Madhya Pradesh after taking No Objection Certificate from other State shall be calculated at the standard price of the vehicle at the time of its initial registration and age of vehicle reckoned from its initial registration date till the date of issuance of No Objection Certificate, at the rate as specified in the provisions of item 4A or item 4B or item 4BA or item 8 or item 8A or item 9 of this Schedule, according to category of such vehicle, as per the following Table A.

Table A

S.No.	Age of vehicle reckoned from the date of initial registration of vehicle till the date of issue of No Objection Certificate	Percentage of lifetime tax leviable under item 4A or item 4B or item 4BA or item 8 or item 8A or item 9 of this Schedule on the value of the vehicle at the time of original registration
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 1 Year	93
2.	More than 1 year up to 2 years	86
3.	More than 2 years up to 3 years	79
4.	More than 3 years up to 4 years	72
5.	More than 4 years up to 5 year	65
6.	More than 5 years up to 6 years	58
7.	More than 6 years up to 7 years	51
8.	More than 7 years up to 8 years	44
9.	More than 8 years up to 9 years	37
10.	More than 9 years up to 10 years	30
11.	More than 10 years up to 11 years	23
12.	More than 11 years	16"

3. forThird Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

"THIRD SCHEDULE

(see section 4)

Class of Vehicle		Motor vehicle tax payable on vehicles in possession of a manufacturer or dealer under trade certificate authorization
(1)		(2)
1.	Motor Cycle	Rs. 20000 per annum
2.	Adapted Vehicles	Rs. 500 per annum
3.	Light Motor Vehicles	Rs. 30000 per annum
4.	Medium Passenger Vehicles	Rs. 40000 per annum
5.	Medium Goods Vehicles	Rs. 40000 per annum
6.	Heavy Passenger Vehicles	Rs. 50000 per annum
7.	Heavy Goods Vehicles	Rs. 50000 per annum
8.	E-rikshaw	Rs. 5000 per annum
9.	E- Cart	Rs. 5000 per annum
10.	Other category vehicles	Rs. 30000 per annum

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सिबि चक्रवर्ती, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.